# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

"प्रशासन गांवों के संग अभियान–2023"

**पीठासीन अधिकारी– अर्चना बुगालिया (आर.ए.एस.)**

| प्रकरण संख्या | दायर दिनांक | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|
| 09/2023 | 31.03.2023 | 31.05.2023 |

अनवान

1. छगनलाल पिता बद्रीलाल नाई आयु वयस्क निवासी दोवनी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. जगदीश पिता ब्रदीलाल नाई आयु वयस्क निवासी दोवनी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. भीमराज पिता बद्रीलाल नाई आयु वयस्क निवासी दोवनी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
4. राधेश्याम पिता बद्रीलाल नाई आयु वयस्क निवासी दोवनी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. उदेराम पिता लक्ष्मण गुजर आयु वयस्क निवासी दोवनी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. डाली पत्नि सवाईराम गुजर आयु वयस्क निवासी दोवनी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. लहरी पत्नि खेमराज गुजर आयु वयस्क निवासी दोवनी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
4. सुरजमल पिता हीरा ढोली आयु वयस्क निवासी दोवनी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
5. बालु पिता भैरूलाल गाडरी आयु वयस्क निवासी दोवनी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
6. रामेश्वर पिता भैरूलाल गाडरी आयु वयस्क निवासी दोवनी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

अप्रार्थीगण

उपस्थितिः– अधिवक्ता श्री गोपाल दाधीच प्रार्थीगण

–:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम::–

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.02 17:23:01 IST
Reason: SelfAttested

–::निर्णय::–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली आज दिनांक को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 में राजीव गांधी सेवा केन्द्र दोवनी में पेश हुई। हाजिर वकील प्रार्थीगण ने बहस एक तरफा बाबत् निवेदन किया जो स्वीकार किया जाकर बहस सुनी गई। जिसमें वकील प्रार्थीगण ने बताया की मामला पत्थरगढ़ी का है, जिसमें प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराना चाहते है, प्रार्थीगण ने बताया कि मौजा दोवनी पटवार हल्का दोवनी तहसील कपासन मे ंस्थित आराजी संख्या 909, 920, 921, 922 कुल किता 4 कुल रकबा 2.16 है0

कृषि भूमि के प्रार्थीगण संयुक्त खातेदार काश्तकार है, प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराना चाहता है। चूंकि पक्षकारान के आराजीयात के मध्य निशानात नहीं होने से प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य विवाद बना रहता है, अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की आराजीयात में अन्दर घुस जाते है व घुसने का प्रयास करते है। जिससे पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराया जाना आवश्यक है। सबुत में हाल जमाबन्दी की नकल पेश की है। अतः प्रार्थीगण की आराजीयात की पुख्ता पत्थरगढ़ी कराये जाने का आदेश फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया व प्रार्थीगण को सुना। प्रस्तुत खाते की नकल सम्वत् 2074 – 2077 तक के मुताबिक उपरोक्त वर्णित आराजीयात के खाता संख्या 283 के प्रार्थीगण संयुक्त खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराना चाहता है, जिससे पक्षकारान के मध्य हमेशा विवाद नहीं रहें व विवाद समाप्त हो जावें। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा मौजा दोवनी पटवार हल्का दोवनी तहसील कपासन मे ंस्थित आराजी संख्या 909, 920, 921, 922 कुल किता 4 कुल रकबा 2.16 है0 कृषि भूमि की फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में प्रस्तुत करे। सीमांकन (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार कपासन को 1000/– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर मजमेआम में सुनाया गया।

(अर्चना बुगालिया)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.02 17:23:01 IST
Reason: SelfAttested